PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

11/11/2024 से 17/11/2024 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक हित में संतुलन : निजी बनाम सामुदायिक संपत्ति पर सुप्रीम निर्णय.....1
2. शिल्प और संस्कृति का मिलन : राष्ट्रपति भवन में कोणार्क के पहियों का समर्पण.....4
3. भारत में पवन ऊर्जा का उन्नयन : ऊर्जा सुरक्षा से सतत विकास तक.....6
4. वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024.....9
5. वज्रपात और तड़ित चालक : प्रकृति की हिंसा और उसके प्रबंधन की कला.....12
6. जनजातीय गौरव दिवस 2024.....14

PLUTUS IAS

व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक हित में संतुलन : निजी बनाम सामुदायिक संपत्ति पर सुप्रीम निर्णय

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य केवल 'सार्वजनिक हित' के आधार पर निजी संपत्ति पर नियंत्रण या उसका अधिग्रहण नहीं कर सकता है।

- न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सरकारी अधिग्रहण और पुनर्वितरण के लिए संपत्तियों को "समुदाय के भौतिक संसाधन" के रूप में वर्गीकृत करने की बात को नकारते हुए अपने निर्णय में दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की थी।

- सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31सी की वैधता के मामले में यह तय किया कि क्या संविधान का यह प्रावधान, जो देश में न्यायसंगत संसाधन वितरण को बढ़ावा देने वाले कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है, वह वैध है अथवा अवैध है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि क्या सरकार किसी निजी संपत्ति को **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में अधिग्रहित कर सकती है अथवा नहीं।

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से निजी संपत्ति पर राज्य के हस्तक्षेप की सीमा तय होगी और इसका भारत के सामाजिक-आर्थिक नीतियों पर गहरा एवं दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

अनुच्छेद 39(बी) क्या है ?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार सुनिश्चित करे, जिससे संपूर्ण समाज की भलाई को बढ़ावा मिले।

- इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक और भौतिक संसाधन न्यायपूर्ण तरीके से वितरित किए जाएं ताकि समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास हो सके और कोई भी वर्ग शोषण का शिकार न हो।

डीपीएसपी बनाम मौलिक अधिकार :

- संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

- भारत में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जहाँ सीधे न्यायालय में लागू हो सकते हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय से तत्काल राहत प्राप्त की जा सकती है, वहीं डीपीएसपी राज्य के लिए केवल मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। ये राज्य को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं होते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि :

- यह मामला मुंबई स्थित संपत्ति मालिकों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अध्याय VIII-A की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

- इस प्रावधान के तहत राज्य को यह अधिकार प्राप्त था कि वह निजी संपत्ति का अधिग्रहण मासिक किराए के सौ गुना मुआवजे के साथ कर सकता था।

- यह याचिका 1992 में दायर की गई थी और दो दशकों से भी अधिक समय तक लंबित रहने के बाद 2024 में इसकी सुनवाई की गई, जब इसे नौ न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के सामने प्रस्तुत किया गया।

भारत में संपत्ति के अधिकार में बदलाव से संबंधित न्यायिक व्याख्या की पृष्ठभूमि:

भारत में संपत्ति के अधिकार में न्यायिक व्याख्या के बदलाव की पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और संवैधानिक संशोधन शामिल हैं। भारत में प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31 के तहत मौलिक अधिकार माना जाता था। लेकिन , समय के साथ भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संपत्ति के अधिकार में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह इसे केवल एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया।

1. **शंकरी प्रसाद मामला (1951) :** इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, और यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

2. **बेला बनर्जी मामला (1954) :** इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि जब संपत्ति को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया जाता है, तो सरकार को उचित मुआवजा देना आवश्यक है।

3. **25 वां संशोधन (1971) :** इस संशोधन ने अनुच्छेद 31C के तहत सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा, जिससे सरकार को संपत्ति के अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार मिला।

4. **केशवानंद भारती मामला (1973) :** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में न हो।

5. **44वां संशोधन (1978) :** भारत में 44वां संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया, जिसके तहत सरकार को उचित मुआवजे के साथ निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया।

6. **मिनर्वा मिल्स मामला (1980) :** सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31C के तहत सभी नीति-संवर्धक उद्देश्यों को शामिल नहीं किया जा सकता, और न्यायिक समीक्षा को निष्क्रिय करने वाले प्रावधानों को निरस्त कर दिया।

7. **वामन राव मामला (1981) :** इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि नौवीं अनुसूची में किए गए संवैधानिक संशोधन न्यायिक चुनौती से संरक्षित हैं, लेकिन बाद में किए गए संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

8. **विद्या देवी मामला (2020) :** सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की संपत्ति का जबरन अधिग्रहण मानवाधिकारों और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव :

सकारात्मक प्रभाव :

1. **सामाजिक न्याय और संसाधनों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करना :** राज्य का नियंत्रण हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक असमानताएँ घटती हैं।

2. **संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना :** राज्य यह सुनिश्चित करता है कि भूमि, जल, और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थिर और सार्वजनिक हित में हो, जिससे दीर्घकालिक लाभ होता है।

3. **सार्वजनिक योजनाओं का कार्यान्वयन करने हेतु :** राज्य के अधिग्रहण द्वारा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक योजनाओं का कार्यान्वयन संभव होता है, जो संपूर्ण समाज की समग्र भलाई को बढ़ाने में सहायक होता है।

4. **वंचित वर्गों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु :** राज्य कमजोर और वंचित समुदायों को शोषण से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव और सुधार होता है।

नकारात्मक प्रभाव :

1. **आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करना :** राज्य द्वारा संपति पर नियंत्रण या नियमों की अधिकता बाजार आधारित नवाचार और विकास को प्रभावित कर सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

2. **निजी संपत्ति पर प्रतिबंध :** राज्य के नियंत्रण के कारण व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी अधिकारों में कमी आती है, जो निजी निवेश और उद्यमशीलता को कमजोर कर सकता है।

3. **सुधार और निवेश संबंधी प्रोत्साहन में कमी होना :** राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निजी संपत्ति मालिकों को सुधार और निवेश में रुचि लेने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे राज्य में होने वाला आर्थिक विकास रुक सकता है। इस प्रकार, राज्य का संपत्ति पर नियंत्रण एक ओर जहां सामाजिक और सार्वजनिक भलाई में योगदान करता है, वहीं दूसरी ओर निजी निवेश और विकास में कुछ बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है।

निजी संपत्ति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के निहितार्थ :

इस फैसले ने संपत्ति अधिकारों की व्याख्या और सरकारी हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट किया है, जिसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:

1. **अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना :** इस निर्णय ने सरकार की निजी संपत्ति के अधिग्रहण की शक्ति को सीमित किया है, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों को प्राथमिकता मिली और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को रोका गया है।

2. **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) :** भारतीय संविधान में वर्णित डीपीएसपी कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। लेकिन, न्यायालय ने इसे राज्य के लिए मार्गदर्शक नीतियाँ मानते हुए सरकार से इन सिद्धांतों के तहत काम करने की अपेक्षा की है।

3. **आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देना :** उच्चतम न्यायालय ने संविधान का उद्देश्य "आर्थिक लोकतंत्र" को बढ़ावा देने के रूप में स्पष्ट किया, जिसका अर्थ संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण करना होता है। सरकार का उद्देश्य विशेष आर्थिक नीतियाँ लागू करना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।

4. **हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना :** इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया है कि विशेषकर छोटे किसानों और वन भूमि पर निर्भर समुदायों को मनमाने तरीके से संपत्ति अधिग्रहण से बचाया जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

5. **बाजार की बदलती वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी :** सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह स्वीकार किया गया कि डिजिटल और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में संपत्ति की परिभाषा में बदलाव आ रहा है। न्यायालय ने कहा कि संसाधन वितरण के निर्णय लेते समय उभरते बाजार की वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

6. **बाजार-उन्मुख मॉडल का समर्थन करना :** यह निर्णय भारत के आर्थिक मॉडल को बाजार-उन्मुख मानते हुए पुष्टि करता है कि संसाधन वितरण में सरकार की भूमिका को इस मॉडल के अनुरूप बनाना चाहिए। जिसमें निजी संपत्ति के अधिकार और सामुदायिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

7. **भारत में एक स्थिर और न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचा सुनिश्चित करने में सहायक होना :** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय ने निजी संपत्ति के अधिकारों को सशक्त किया है और सरकारी हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे भारत में एक स्थिर और न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

आगे की राह :

1. भारत सहित वैश्विक रूप से उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती असमानता एक गंभीर चुनौती है। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करे, जो अपनी जीविका के लिए राज्य की सहायता पर निर्भर होते हैं।

2. पिछली नीतियों जैसे उच्च कर दरें और संपत्ति शुल्क ने अपनी अपेक्षित सफलता नहीं पाई है , बल्कि इसने कर वंचन और काले धन की समस्या को बढ़ाया ही है।

3. विकास और नवाचार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका लाभ सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुँचे। इसके लिए नीतियों को मौजूदा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में गंभीर विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाना चाहिए।

4. राज्य के लिए संविधान में उल्लिखित आर्थिक न्याय का सिद्धांत ही अंततः मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।

5. उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय भारत में संपत्ति अधिकारों के कानूनी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय निजी संपत्ति के अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया और मुआवजे की आवश्यकता को रेखांकित करता है, साथ ही यह व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन की बात करता है।

6. यह निर्णय भविष्य में संपत्ति अधिग्रहण और पुनर्वितरण से संबंधित नीतियों और कानूनी व्याख्याओं को प्रभावित करेगा, जिससे संविधान के सामाजिक न्याय और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित होगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी व्याख्या करते हुए यह निर्णय दिया कि राज्य केवल 'सार्वजनिक हित' के आधार पर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है और इससे भारत के किस नीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा?

अनुच्छेद 31C

अनुच्छेद 39(B)

अनुच्छेद 226

न्यायिक स्वतंत्रता एवं समीक्षा नीति

सामाजिक-आर्थिक नीति

सांविधानिक सुधार नीति

उपर्युक्त विकल्पों में से कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1, 2, 3 और 6

B. केवल 2 और 5

C. केवल 2, 3, 4 और 6

D. केवल 4 और 6

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय ने निजी बनाम सामुदायिक संपत्ति दिए पर अपने निर्णयों में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

शिल्प और संस्कृति का मिलन : राष्ट्रपति भवन में कोणार्क के पहियों का समर्पण

खबरों में क्यों ?

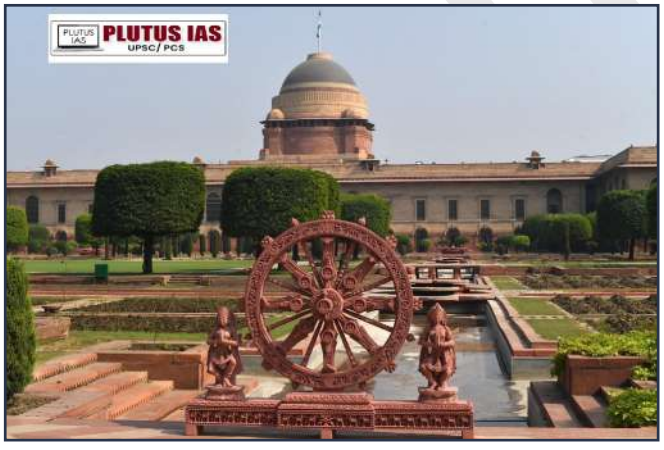

- हाल ही में, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क के प्रसिद्ध बलुआ पत्थर से बने चार पहियों की प्रतिकृतियाँ स्थापित की गई हैं।
- यह पहल राष्ट्रपति भवन में भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहरों और विरासतों को संरक्षित करने और इसके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए विभिन्न प्रयासों के एक हिस्से के अंतर्गत किया गया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य :

- भारत के राष्ट्रपति भवन के उद्यान में कोणार्क के इन पहियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुत करना, उसकी महत्ता का प्रसार करना और उसे व्यापक रूप से प्रचारित करना है।
- इस पहल का एक उद्देश्य भारत के भावी पीढ़ियों के लिए अपने देश की सांस्कृतिक विरासतों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहरों को संरक्षित रखने के प्रति जागरूकता फैलाकर इसके संरक्षण को बढ़ावा देना भी है।

• कोणार्क सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्त्व :

- कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 ई. में उसके अद्वितीय ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने को पहचानते हुए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
- यह मंदिर ओडिशा के मंदिर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और सूर्य देवता के रथ के आकार में निर्मित किया गया है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं।
- यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले के पास स्थित है, जो पूर्वी ओडिशा का एक पवित्र नगर है।
- इसका निर्माण 13वीं शताब्दी (1238-1264 ई.) में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, जो गंग वंश के एक महान सम्राट थे।
- यह मंदिर न केवल गंग वंश की वास्तुकला और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं महत्त्व को भी दर्शाता है।
- पूर्वी गंग राजवंश, जिसे रूधि गंग या प्राच्य गंग भी कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कलिंग क्षेत्र पर शासन किया था।

कोणार्क सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषताएँ :

- कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीय और जटिल वास्तुकला, साथ ही शानदार मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है।
- मंदिर का शिखर, जिसे रेखा देउल कहा जाता था, एक समय ऊंचा और अत्यंत भव्य था, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह ध्वस्त हो गया।
- मंदिर की संरचना में पूर्व दिशा की ओर स्थित जगमोहन (दर्शक कक्ष या मंडप) पिरामिड आकार में है, जबकि इसके सामने नटमंदिर (नृत्य हॉल) स्थित है, जो वर्तमान में छत विहीन है।
- नटमंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और ओडिशा की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है।

- कोणार्क मंदिर न केवल भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि यह उस काल की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जीवंत प्रतीक भी है।
- इसका निर्माण ओडिशा मंदिर वास्तुकला शैली में किया गया है।

ओडिशा मंदिर वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला शैली :

- ओडिशा मंदिर वास्तुकला, जिसे कलिंग वास्तुकला भी कहा जाता है, नागर वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट रूप है, जो विशेष रूप से पूर्वी भारत में प्रचलित है।
- यह स्थापत्य शैली ओडिशा के धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय स्थापत्य कला में अपनी अलग पहचान बनाती है।
- ओडिशा के मंदिरों की शिल्पकला और संरचनात्मक विशेषताएँ भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- ओडिशा मंदिर वास्तुकला के प्रमुख तीन घटक होते हैं: रेखापिडा (मुख्य शिखर), पिधादेउल (मंदिर का आधार) और खाकरा (आंतरिक संरचना)।
- इन तीनों भागों का संयोजन मंदिर की भव्यता, धार्मिक महत्व और एक आकर्षक एवं अदभुत सौंदर्य को संयुक्त रूप से परिभाषित करता है।
- इन मंदिरों का निर्माण आम तौर पर प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हुआ है, जो वर्तमान में ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है।
- इन प्रमुख मंदिरों में भुवनेश्वर (प्राचीन त्रिभुवनेश्वर), पुरी और कोणार्क के सूर्य मंदिर शामिल हैं।
- ओडिशा की वास्तुकला का एक प्रमुख तत्व है मंदिर के शिखर की विशिष्टता, जिसे ' देउल ' कहा जाता है।
- यह शिखर न केवल ऊंचा और सीधा होता है, बल्कि इसके शीर्ष पर एक हल्का झुकाव भी देखा जाता है।
- इसके अलावा, मंदिरों में एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना ' जगमोहन ' होती है, जो मुख्य मंदिर से पहले स्थित होती है और भक्तों को पूजा और दर्शन के लिए एक समर्पित पवित्र स्थान प्रदान करती है।
- मंदिरों की बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी और चित्रकला की जाती है, जो इनकी स्थापत्य कला की समृद्धि और भव्यता को प्रदर्शित करती है।
- इन मंदिरों के आंतरिक भाग अपेक्षाकृत सरल होते हैं, जिसमें संरचनाएँ व्यवस्थित और ध्यानमग्न रूप से डिजाइन की जाती हैं।
- इन मंदिरों की संरचना प्रायः वर्गाकार होती है, लेकिन ऊपर की ओर यह गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो मंदिर की वास्तुकला को आकर्षक और मनोहक बनाता है।
- इन मंदिरों के चारों ओर एक प्राचीर (दीवार) होती है, जो न केवल मंदिर को बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि इसे एक पवित्र क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है।

1. कोणार्क चक्र का महत्व :

2. कोणार्क चक्र भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
3. यह 13वीं शताब्दी में विकसित सूर्यघड़ी के रूप में समय मापने और खगोलशास्त्र में भारतीय उन्नति का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
4. कोणार्क मंदिर का स्वरुप एक विशाल रथ के रूप में है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जो सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक हैं।
5. इसमें 24 पहिए हैं, जो 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों का प्रतीक हैं।
6. प्रत्येक पहिए का व्यास 9 फीट 9 इंच होता है और इसमें 8 मोटी और 8 पतली तीलियाँ होती हैं, जो प्राचीन सूर्यघड़ी के रूप में काम करती हैं।
7. पहियों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें पत्तियाँ, जानवर, और विभिन्न मुद्राओं में महिलाओं की आकृतियाँ शामिल हैं, जो कला और प्रतीकवाद की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं।
8. सूर्यघड़ी के रूप में पहिए समय मापने के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं।
9. चौड़ी तीलियाँ तीन घंटे के अंतराल को दर्शाती हैं, पतली तीलियाँ 1.5 घंटे को, और स्पोक्स के बीच की मालाएँ 3 मिनट के अंतराल को दर्शाती हैं।
10. मंदिर के शीर्ष पर स्थित चौड़ा स्पोक मध्यरात्रि को चिह्नित करता है, जो डायल समय को प्रदर्शित करने के लिए वामावर्त घूमता है।

कोणार्क चक्र का समकालीन महत्व और निष्कर्ष :

1. कोणार्क चक्र का समकालीन महत्व इस बात में निहित है कि यह न केवल ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि भारतीय स्थापत्य और तकनीकी कला की उत्कृष्टता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

2. आज, यह चक्र भारतीय मुद्रा पर भी अंकित किया गया है, जिससे ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। विशेष रूप से, पुराने 20 रुपये और नए 10 रुपये के नोटों पर कोणार्क चक्र की उपस्थिति ओडिशा की ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करती है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाती है।

3. 5 जनवरी 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नोट पर कोणार्क चक्र को अंकित किया गया, जो इस प्राचीन शिल्पकला के समकालीन महत्व को बताता है।

4. कोणार्क मंदिर का यह चक्र अब भारतीय मुद्रा में केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक गौरव को भी दर्शाता है।

5. कोणार्क मंदिर की वास्तुकला ने भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा में एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। यह शैली न केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी एक अनूठा प्रतीक बन चुकी है, जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति का गौरव बढ़ा रही है।

6. निष्कर्ष के रूप में, कोणार्क चक्र न केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य, कला और विज्ञान के समृद्ध इतिहास का जीवित प्रतीक है। आज भी यह चक्र भारतीय स्थापत्य कला, सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान, राष्ट्रीय गौरव और समृद्ध विरासत के प्रतीक को जीवित रखता है, जो भविष्य में भी भारतीय संस्कृति की पहचान के रूप में बना रहेगा।

स्त्रोत – पी आई बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय स्थापत्य/ वास्तुकला कला के संदर्भ में निम्नलिखित शैलियों पर विचार करें।

1. रेखापिडा (मुख्य शिखर)
2. पिधादेउल (मंदिर का आधार)
3. खाकरा (आंतरिक संरचना)
4. जगमोहन (दर्शक कक्ष या मंडप)

उपर्युक्त में से कौन ओडिशा मंदिर वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला शैली का उदाहरण है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " भारत के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला या वास्तुकला प्राचीन भारत के इतिहास, कला एवं संस्कृति के ज्ञान के एक विश्वसनीय एवं अति महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में पवन ऊर्जा का उन्नयन : ऊर्जा सुरक्षा से सतत विकास तक

खबरों में क्यों ?

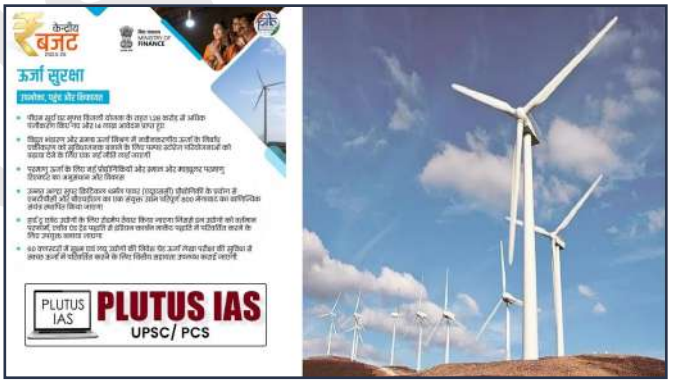

- तमिलनाडु, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य रहा है, ने हाल ही में "पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए **पुनर्शक्तिकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति – 2024"** पेश किया है।

- यह नीति पुरानी पवन टर्बाइनों के आधुनिकीकरण और उनकी दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

- पवन ऊर्जा उत्पादकों ने तमिलनाडु के इस नीति का विरोध करते हुए एक ऐसे ढांचे की मांग कर रहे हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन को बेहतर तरीके से बढ़ावा दे सके।

- इसके विरोध में, पवन ऊर्जा उत्पादकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के इस नीति के कार्यान्वयन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

पवन ऊर्जा के प्रमुख लाभ :

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए **" राष्ट्रीय पुनर्शक्ति और परिचालन अवधि विस्तार नीति-2023 "** की शुरुआत की थी। पवन ऊर्जा के कई लाभ हैं, जो इसे स्थिर और संधारणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बनाते हैं।

- **अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा :** पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से पुनः भरती है, अर्थात यह अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन के विपरीत संधारणीय होती है। जैसे डेनमार्क अपनी आधी बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, जिससे उसे निरंतर और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी :** पवन टर्बाइन बिना CO_2 उत्सर्जित किए बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण स्वरूप, 2021 में अमेरिकी पवन ऊर्जा ने 189 मिलियन मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन को रोका, जो 41 मिलियन कारों के सड़कों से हटाने के बराबर है।

- **स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और ऊर्जा स्वतंत्रता :** पवन ऊर्जा आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करती है, जिससे ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

- **रोजगार सृजन में सहायक होना :** पवन ऊर्जा परियोजनाओं से निर्माण, स्थापना, रखरखाव और संचालन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के रोजगार सृजित होते हैं। भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, इस क्षेत्र ने हजारों रोजगार अवसर प्रदान किए हैं।

- **पुनर्शक्तिकरण करना :** पुराने, कम क्षमता वाले टर्बाइनों को उच्च क्षमता वाले टर्बाइनों से बदलने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, 2 मेगावाट टर्बाइन में 6.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जबकि आधुनिक 2.5 मेगावाट टर्बाइन से 8 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होती है।

- **नवीनीकरण के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार करना :** पुराने टर्बाइनों के घटकों जैसे ब्लेड और गियरबॉक्स को उन्नत करना और उनकी ऊंचाई बढ़ाना, जिससे बिना पूरी तरह से बदलाव के उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकता है।

- **परिचालन जीवन का विस्तार करना :** पुराने टर्बाइनों की कार्यशीलता और सुरक्षा को बढ़ाकर उनका परिचालन जीवन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, पवन ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

भारत और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा क्षमता :

1. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के अनुसार भारत में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 1,163.86 गीगावाट है, जो इसे वैश्विक स्तर पर प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल करता है।

2. हालांकि, भारत अपनी पवन ऊर्जा क्षमता का केवल 6.5% उपयोग कर रहा है।

3. तमिलनाडु, 10,603.5 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और देश की ऊर्जा आपूर्ति में अहम योगदान दे रहा है।

4. इस राज्य में लगभग 20,000 पवन टर्बाइन हैं, जिनमें से आधे 1 मेगावाट से कम क्षमता वाले हैं, जो आधुनिक टर्बाइनों की तुलना में कम प्रभावी हैं।

5. भारत 2024 तक पवन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर रहेगा। इसके वर्ष 2025-30 तक पवन ऊर्जा उत्पादन की लागत ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है, जिससे भारत में पवन ऊर्जा की वृद्धि को और भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियाँ और उद्योग जगत द्वारा विरोध करने का प्रमुख कारण :

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें प्रमुख हैं:

- भूमि अधिग्रहण में देरी और भूमि की कमी : पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण एक जटिल और समय-साध्य प्रक्रिया है, जो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी और लागत में वृद्धि का कारण बनती है। 2.5 मेगावाट जैसे बड़े टर्बाइनों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो अक्सर मौजूदा पवन फार्मों में उपलब्ध नहीं होती। इस कारण अपग्रेड करने में मुश्किलें आती हैं।

- **बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी होना :** ट्रांसमिशन नेटवर्क और सब-स्टेशनों के निर्माण में देरी हो रही है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के अरलवैमोझी क्षेत्र में छह साल से नए सब-स्टेशनों का निर्माण रुका हुआ है, जिससे ऊर्जा उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- **बैंकिंग सुविधाओं का अभाव और वित्तीय समस्याएँ :** भारत में पवन ऊर्जा नीति के अनुसार, पुनः संचालित टर्बाइनों को नई परियोजनाओं के रूप में माना जाता है। वर्ष 2018 के बाद स्थापित पवन टर्बाइनों के लिए बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलती है। इसका असर इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर पड़ता है, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा को भविष्य के लिए भंडारण नहीं किया जा सकता है।

- **मौसम की अनिश्चितता :** पवन ऊर्जा उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है, जो मानसून और अन्य खराब मौसम स्थितियों के दौरान अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकता है।

- **अपर्याप्त ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर :** भारत का ग्रिड पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर, गुजरात और तमिलनाडु में पवन फार्मों को ग्रिड से जोड़ने वाली सीमित ट्रांसमिशन लाइनों के कारण बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न होती है।

- **अद्यतन नीतियों का अभाव :** पुरानी नीतियाँ नई तकनीकों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होतीं हैं। पवन ऊर्जा नीति में पुराने टर्बाइनों को शामिल न करने के कारण निवेशकों ने इस नीति का विरोध किया है।

- **सटीक पवन मानचित्रण की कमी असंगति :** उच्च गुणवत्ता वाले पवन संसाधनों की कमी और सटीक पवन मानचित्रण की कमी के कारण कई

क्षेत्रों में पवन फार्मों का प्रदर्शन उम्मीद से कम हुआ है।

- **शहरीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता :** बढ़ते शहरीकरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पवन ऊर्जा फार्मों के असर के कारण खासकर पक्षियों और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर इन परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है। इन समस्याओं के कारण पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों और उद्योग जगत का विरोध बढ़ रहा है, जो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सुधार की मांग कर रहे हैं।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य :

भारत ने **COP-26 (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय)** सम्मेलन में ग्लासगो में अपने जलवायु लक्ष्यों को लेकर **' पाँच प्रमुख संकल्प '** या **' पंचामृत '** प्रस्तुत किए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. **500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना :** भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
2. **ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% का नवीकरणीय स्रोत से पूरा करना :** भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का संकल्प लिया है।
3. **कार्बन उत्सर्जन को कम करना :** भारत का उद्देश्य 2030 तक अपने कुल कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना है।
4. **कार्बन तीव्रता में 45% कमी लाना :** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% तक घटाना है।
5. **शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना :** भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

समाधान और आगे की राह :

- **व्यापक और लाभकारी नीति :** पवन ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावसायिक रूप से लाभकारी और क्षेत्र के अनुकूल नीति अपनाई जानी चाहिए।
- **भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना :** पवन फार्मों को कृषि या चरागाह भूमि के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे दोहरे उपयोग की संभावना होती है। इससे किसानों को पवन टर्बाइनों के लिए भूमि पट्टे के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका के आयोवा में कई किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा पवन टर्बाइनों के लिए पट्टे पर देते हैं, जिससे उनकी कृषि आय में वृद्धि होती है।
- **पवन फार्मों का तीव्र गति से निर्माण और बिजली की मांग के अनुसार विस्तार करना :** पवन फार्मों का निर्माण तीव्र गति से किया जाना चाहिए और उनकी क्षमता को स्थानीय बिजली की मांग के अनुसार बढ़ाना चाहिए। ब्रिटेन में हाल के वर्षों में अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों का तेजी से विस्तार इसका एक उदाहरण है।
- **हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं को बढ़ावा देना :** पवन-सौर हाइब्रिड प्रणालियाँ कम हवा वाले समय में भी निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। ये प्रणालियाँ भूमि उपयोग को अधिकतम करने और ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार करने में भी सहायक हो सकती हैं। इन उपायों के माध्यम से, भारत न केवल अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करेगा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पंचामृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पंचामृत भारत सरकार द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया एक पहल है।
2. पंचामृत के अंतर्गत भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
3. पंचामृत के तहत भारत केवल पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है।
4. पंचामृत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पांच प्रमुख उपायों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A . केवल 1, 2 और 4

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

व्याख्या :

पंचामृत भारत सरकार का शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक योजना है। इसमें पाँच प्रमुख उपायों को शामिल किया गया है, जिसके तहत भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना केवल पवन ऊर्जा तक सीमित नहीं है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पवन ऊर्जा भारत के वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए किन तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक 15)

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024

खबरों में क्यों ?

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (NCI) 2024 में भारत 176वें स्थान पर

- हाल ही में प्रकाशित **' वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (Nature Conservation Index: NCI), 2024 '** के अनुसार, भारत को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है।
- यह सूचकांक पहली बार 24 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया था जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण की स्थिति का विस्तृत आकलन करना था।
- इस सूचकांक में भारत को 100 में से केवल 45.5 अंक मिले हैं और उसे 176वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए कुल 180 देशों के इस मूल्यांकन में भारत की स्थिति बेहद कमजोर रही है।
- प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक ओर जहाँ लक्ज़मबर्ग को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं इसके विपरीत, प्रशांत महासागर में स्थित किरिबाती नामक देश को इस सूची में सबसे निचला स्थान मिला है।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक :

1. वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (NCI) का निर्माण गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव, इज़राइल और गैर-लाभकारी वेबसाइट BioDB.com ने संयुक्त रूप से मिलकर इस सूचकांक को तैयार और जारी किया है।
2. इस सूचकांक को पहली बार अक्टूबर 2024 में पहली बार प्रकाशित किया गया था।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (Nature Conservation Index: NCI) :

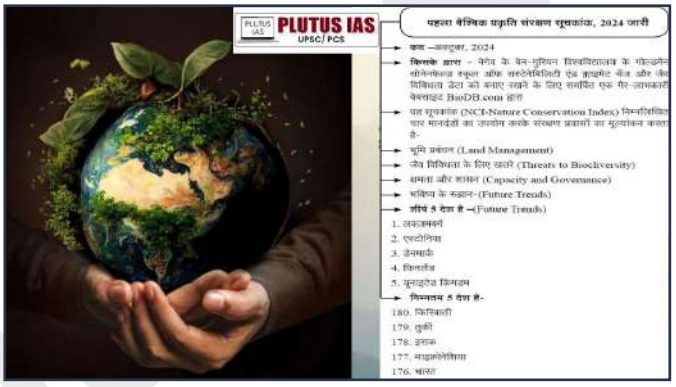

1. यह सूचकांक डेटा-आधारित एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में देशों की प्रगति का मूल्यांकन करना है।
2. NCI का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह वैश्विक स्तर पर सरकारों, शोधकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों को प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं को पहचानने में मदद करे, ताकि जैव विविधता के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक नीतियों के निमार्ण में सुधार किया जा सके।

NCI चार प्रमुख मानदंडों पर आधारित होता है:

1. **भूमि प्रबंधन :** यह मूल्यांकन करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने और उसे टिकाऊ बनाने के लिए भूमि का प्रबंधन कितना प्रभावी है।
2. **जैव विविधता के लिए खतरों की पहचान करना :** यह विभिन्न स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को उत्पन्न होने वाले खतरों की पहचान करता है और उनकी गंभीरता को मापता है।
3. **संरक्षण प्रयासों से संबंधित संस्थागत क्षमता और शासन तंत्र के बीच का तालमेल :** यह इस बात पर विचार करता है कि संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता और शासन तंत्र कितने मजबूत हैं।
4. **जैव विविधता और संरक्षण की दिशा में भविष्य की प्रवृत्तियाँ :** यह संभावित भविष्य में होने वाले विकास और परियोजनाओं के असर को भी ध्यान में रखता है, जो जैव विविधता और संरक्षण की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

- इस सूचकांक के माध्यम से देशों की रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा कैसे कर रहे हैं।
- यह सूचकांक खतरे में पड़ी प्रजातियों, संरक्षित क्षेत्रों के आकार और गुणवत्ता, आवासों की स्थिति और संरक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता जैसे कई कारकों पर आधारित होता है।
- इस सूचकांक का मूल्यांकन 25 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से किया जाता है।
- वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक को जारी करने के लिए डेटा **विश्व बैंक** तथा **IUCN (प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ)** से प्राप्त किया गया है।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति :

1. वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत ने 100 में से 45.5 अंक हासिल किए हैं, और 180 देशों की सूची में 176वां स्थान प्राप्त किया है।
2. भारत को यह निम्न स्थान अकुशल भूमि प्रबंधन और जैव विविधता को लेकर बढ़ते खतरों के कारण मिला है।
3. भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में भारत को 42 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे वह 154वें स्थान पर है।
4. जैव विविधता के लिए खतरे की श्रेणी में भारत को 54 अंक मिले हैं, जिससे वह वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण के प्रति 177वें स्थान पर है।
5. जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्षमता और प्रशासन संबंधी प्रयासों में भारत को 60 अंक मिले हैं, और इस श्रेणी में वह 115वें स्थान पर है।
6. भविष्य की प्रवृत्तियों के संदर्भ में भारत को 35 अंक मिले हैं, जिससे वह 133वें स्थान पर है।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश :

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश और उनके अंक निम्नलिखित हैं:

1. **लक्ज़मबर्ग – 70.8 अंक**
2. **एस्टोनिया – 70.5 अंक**
3. **डेनमार्क – 69 अंक**
4. **फिनलैंड – 66.9 अंक**
5. **यूनाइटेड किंगडम – 66.6 अंक**

इन देशों ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में अत्यधिक प्रभावी नीतियों और कार्यों के माध्यम से उच्च रैंकिंग प्राप्त की है।

भारत में प्रकृति संरक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **अकुशल भूमि प्रबंधन :** भारत की लगभग 53% भूमि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि उपयोग के लिए समर्पित है। इस अत्यधिक उपयोग के कारण असंयमित और असंधारणीय प्रथाएँ बढ़ रही हैं, जो जैव विविधता की क्षति का कारण बन रही हैं।
2. **मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए बढ़ते खतरे :** देश में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इस संकट को रोकने और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए त्वरित और प्रभावी उपायों की अत्यंत आवश्यकता है।
3. **समुद्री संरक्षण की कमी :** भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों का केवल 0.2% हिस्सा संरक्षित है, और इनमें से कोई भी हिस्सा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में नहीं आता है। यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में बड़ी कमी को दर्शाता है। जबकि भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का 7.5% हिस्सा संरक्षित है। अतः भारत के लिए समुद्री संरक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की दिशा में सख्त सुधार की अत्यंत जरूरत है।
4. **आवासों का नुकसान होना :** वर्ष 2001 से 2019 के बीच, भारत में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट हो गया। इसका प्रभाव वन्यजीवों के आवासों पर पड़ा है, जिससे उनके जीवन चक्र और संरक्षण पर प्रतिकूल असर हुआ है।
5. **जनसंख्या का बढ़ता दबाव :** भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है, और 1970 के दशक के बाद से इसकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के पारिस्थितिकीय संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जो संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
6. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव :** जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र, जैसे अल्पाइन क्षेत्रों और प्रवाल भित्तियों, को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह जैव विविधता संबंधी मौजूदा समस्याओं को और भी जटिल बना रहा है, और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।
7. **जैव विविधता में गिरावट से जैव विविधता संकट का गहराना :** भारत में हालांकि 40% समुद्री प्रजातियाँ और 65% स्थलीय प्रजातियाँ संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती हैं, फिर भी इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के अनुसार, 67.5% समुद्री प्रजातियाँ और 46.9% स्थलीय प्रजातियाँ महत्वपूर्ण संख्या में गिरावट का सामना कर रही हैं, जो जैव विविधता संकट को और बढ़ा रही हैं।
8. **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ :** भारत को सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन) और 15 (भूमि पर जीवन) को हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश आ रही हैं, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य अनुशंसाएँ और समाधान की राह :

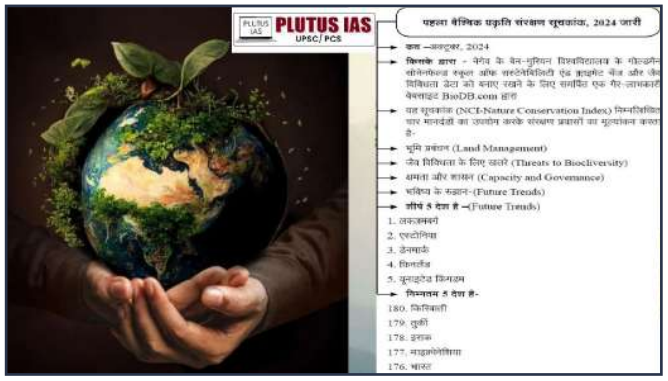

1. **प्रकृति संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीतियाँ लागू करना :** प्रकृति संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीतियाँ लागू करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अनिवार्य है। इसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कानूनों की स्थापना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्यावरण पहलों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना शामिल है।

2. **सतत विकास को प्रोत्साहित करना तथा पारिस्थितिकी संरक्षण को प्राथमिकता देना :** वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (NCI) एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देता है और ऐसे कानूनों को बढ़ावा देता है जो सतत विकास को प्रोत्साहित करें तथा पारिस्थितिकी संरक्षण को प्राथमिकता दें। भारत की वर्तमान संरक्षण चुनौतियों से निपटने और एक स्थिर एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का सुनिश्चित करना और रणनीतिक सुधार लागू करना जरूरी है।

3. **पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाना :** वर्तमान समय में भारत को कई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन NCI इस बात पर बल देता है कि यदि सरकार और समाज मिलकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, तो भारत अपने पर्यावरणीय संकटों का समाधान कर सकता है और एक अधिक टिकाऊ और पारिस्थितिकी अनुकूल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।

4. **पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित संरक्षण नीतियों और जैव विविधता कार्यक्रमों में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता :** भारत को अपनी पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित संरक्षण नीतियों और जैव विविधता कार्यक्रमों में व्यापक सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता को दीर्घकालिक रूप से बचाया जा सके। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित, सशक्त और समूह-आधारित प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हम प्रकृति के संरक्षण में वास्तविक प्रगति कर सकें और पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अतः एक समन्वित और सशक्त प्रयास से ही भारत में प्रकृति के संरक्षण की दिशा में प्रगति संभव है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं डाउन टू अर्थ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ' वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, 2024 ' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस सूचकांक को पहली बार अक्टूबर 2024 में प्रकाशित किया गया था।
2. इसे गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और BioDB.com ने मिलकर तैयार किया है।
3. भारत को इस सूचकांक में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्ज़मबर्ग को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है।
4. भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस सूचकांक को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** क्योंकि, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, 2024 को पहली बार अक्टूबर 2024 में प्रकाशित किया गया था।
- **कथन 2 सही है।** इसे गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल और BioDB.com ने संयुक्त रूप से मिलकर तैयार और प्रकाशित किया था।
- **कथन 3 गलत है।** क्योंकि इस सूचकांक में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्ज़मबर्ग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
- **कथन 4 गलत है।** क्योंकि गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी और BioDB.com ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय इसमें शामिल नहीं था।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत की स्थिति का विश्लेषण करें। चर्चा करें कि इस संदर्भ में भारत के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसका प्रभावी समाधानात्मक उपाय क्या हो सकता है?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

वज्रपात और तड़ित चालक : प्रकृति की हिंसा और उसके प्रबंधन की कला

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में तमिलनाडु राज्य में लौटते मानसून के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात के कारण कई लोगों की जान जाने की घटनाएं सामने आई हैं।

- मूसलधार बारिश उस स्थिति को कहते हैं, जब 12 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो, जो कई घंटों तक जारी रह सकती है। इस प्रकार की भारी बारिश से छोटे-छोटे नाले और नदियाँ उफान पर आ सकते हैं, और बड़ी नदियों में बाढ़ भी आ सकती है। इसके अलावा, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे भारी नुकसान होता है।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तापमान और वायुमंडलीय नमी में वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है, जिसके कारण वज्रपात की तीव्रता और आवृत्ति वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। जब गर्म हवा और आर्द्र बादल आपस में टकराते हैं, तो यह आवेश के पृथक्करण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जो वज्रपात का कारण बनता है।

वज्रपात और तड़ित चालक क्या होता है ?

- **वज्रपात :** वज्रपात एक प्राकृतिक विद्युत घटना है, जो आमतौर पर तूफानों के दौरान होती है। यह तब उत्पन्न होती है जब बादलों के भीतर जल की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल के बीच घर्षण होता है, जिससे स्थैतिक विद्युत आवेश का संचय होता है। इस घर्षण से उत्पन्न होने वाला आवेश अंततः वज्रपात के रूप में बाहर निकलता है।

- **तड़ित चालक :** तड़ित चालक एक धातु की छड़ी होती है, जिसे भवनों के ऊपरी हिस्से पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत आवेश को आकर्षित करना और उसे नियंत्रित तरीके से जमीन तक पहुंचाना है। तड़ित चालक के कारण एक मजबूत विद्युत क्षेत्र बनता है, जिससे वज्रपात के दौरान विद्युत प्रवाह को सुरक्षित रूप से भूमि में पहुंचाया जा सकता है, और इस प्रकार संभावित नुकसान से बचाव होता है।

आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे का संभावित कारण :

- **वैश्विक भू – तापन और जलवायु परिवर्तन :** ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने वायुमंडलीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो आकाशीय बिजली और आँधी की घटनाओं में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, नमी का वितरण और वायुमंडलीय अस्थिरता बदल रही है, जिससे आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर, प्री-मॉनसून सीज़न में भारतीय उपमहाद्वीप में कालबैसाखी जैसे तूफान, जो आकाशीय बिजली के साथ होते हैं, अब अधिक बार देखने को मिल रहे हैं।

- **अत्यंत तीव्र गति से होने वाला शहरीकरण के कारण उत्पन्न प्रभाव :** शहरीकरण का प्रभाव "शहरी ताप द्वीप प्रभाव" के रूप में सामने आता है, जहाँ शहरी क्षेत्रों की सतहें, जैसे कंक्रीट और अस्फाल्ट, गर्मी को अधिक अवशोषित करती हैं। इसके कारण ये क्षेत्र ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। इस बढ़ी हुई गर्मी के कारण स्थानीय स्तर पर गरज के साथ वर्षा होती है, जो आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं को बढ़ावा देती है। शहरी गतिविधियों, ऊर्जा खपत और अन्य कारकों के कारण यह समस्या और भी गहराती जा रही है।

- **भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तन की बदली हुई प्रकृति :** भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि

विधियों में परिवर्तन और प्राकृतिक परिदृश्यों का परिवर्तन, स्थानीय वायुमंडलीय संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ये परिवर्तित परिस्थितियाँ तूफानों की उत्पत्ति को बढ़ावा देती हैं, जो आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं को भी बढ़ा सकती हैं।

- **प्रदूषण और एयरोसोल :** वायु प्रदूषण, विशेष रूप से एयरोसोल और पार्टिकुलेट मैटर के रूप में, बादलों के निर्माण और विद्युत गतिविधि को प्रभावित करता है। मानवजनित उत्सर्जन तूफान की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रदूषण के कारण बादलों में विद्युत आवेशों का संचय अधिक होता है, जिससे वज्रपात की घटनाएं अधिक होती हैं।

आगे की राह :

- **व्यापक शैक्षिक अभियानों का आयोजन करना आवश्यक :** आकाशीय बिजली से सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक शैक्षिक अभियानों का आयोजन करना आवश्यक है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को आकाशीय बिजली के खतरे और इससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस तरह के अभियान समुदायों में सुरक्षा की भावना जागृत कर सकते हैं और लोगों को सही समय पर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- **आधुनिक एवं उन्नत भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र विकसित करना जरूरी :** आकाशीय बिजली और तूफानों की बेहतर सूचना देने के लिए उन्नत भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र विकसित करना जरूरी है। इससे लोगों को संभावित खतरों से पहले ही अवगत कराया जा सकेगा, जिससे वे समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाकर आकाशीय बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं।
- **आकाशीय बिजली प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की जरूरत :** स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों जैसे उच्च जोखिम वाले स्थानों में आकाशीय बिजली प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे को स्थापित करना चाहिए। इसमें इमारतों और घरों पर तड़ित प्रतिरोधक उपकरण, जैसे तड़ित चालक या आकाशीय बिजली की छड़ें, लगाना शामिल हो सकता है, ताकि बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचने का मार्ग मिल सके और इससे होने वाली हानि को कम किया जा सके। इसके साथ ही, आकाशीय बिजली से उत्पन्न अतिरिक्त वोल्टेज से बचने के लिए विद्युत उपकरणों में सर्ज प्रोटेक्टर्स का उपयोग भी किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय आपातकालीन सेवाओं और प्रथम उत्तरदाता टीमों को प्रशिक्षण देना अत्यंत महत्वपूर्ण :** आकाशीय बिजली की घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय आपातकालीन सेवाओं और पहले उत्तरदाता टीमों को प्रशिक्षण देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण और उन उपकरणों को उपयोग करने की विधियों के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वे घटनास्थल पर समय रहते मदद पहुंचा सकें और आकाशीय बिजली की घटनाओं से होने वाली जोखिम को कम कर सकें। इस प्रशिक्षण से इन टीमों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और वे आकाशीय बिजली की घटनाओं से निपटने के लिए ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकेंगे।

स्रोत – द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वज्रपात (Lightning) और तड़ित चालक (Lightning Rod) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वज्रपात एक प्राकृतिक विद्युत घटना है और यह हमेशा वर्षा के दौरान होता है।
2. वज्रपात के कारण उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बहुत उच्च होती है।
3. तड़ित चालक घर या अन्य संरचनाओं को वज्रपात से बचाता है।
4. तड़ित चालक को केवल बांस से बनाया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का विद्युत कंडक्टर/ सुचालक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर – B

व्याख्या :

- **कथन 1 गलत है।** वज्रपात एक प्राकृतिक विद्युत घटना है, जो आकाशीय बिजली के रूप में होती है। लेकिन, वज्रपात हमेशा वर्षा के दौरान ही नहीं होता, यह शुष्क मौसम में भी हो सकता है।
- **कथन 2 सही है।** वज्रपात के दौरान उत्पन्न विद्युत ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है।
- **कथन 3 सही है।** तड़ित चालक घर या अन्य संरचनाओं को वज्रपात से बचाता है।
- **कथन 4 गलत है।** तड़ित चालक बांस से नहीं, बल्कि धातु (जैसे तांबा) से बनता है, क्योंकि धातु विद्युत का अच्छा कंडक्टर/सुचालक होता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वज्रपात के कारणों, प्रभावों और सुरक्षा उपायों के साथ-साथ तड़ित चालक के महत्व और उसकी कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वज्रपात के जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है और इसके प्रबंधन में नवीनतम तकनीकी प्रगति का क्या योगदान हो सकता है?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

जनजातीय गौरव दिवस 2024

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी **' बिरसा मुंडा '** के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक अभूतपूर्व और अमिट योगदान को सम्मानित करते हुए उनके **150 वें जन्म दिवस** के सम्मान में **' एक विशेष स्मारक सिक्का '** और **' डाक टिकट '** जारी किया है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी ये प्रतीक महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी ' बिरसा मुंडा ' के अद्वितीय विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जारी किए गए हैं।
- जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को किया जाता है।
- यह दिन संपूर्ण भारत में विशेष रूप से **' बिरसा मुंडा की जयंती '** के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया था।

जनजातीय गौरव दिवस का ऐतिहासिक महत्व :

- यह दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था, जब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष को सम्मानित किया गया।
- इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन साहसी जनजातीय आंदोलनों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह की याद दिलाना है, जिनका नेतृत्व ' बिरसा मुंडा ' जैसे महान जनजातीय नेताओं ने किया था।
- इनमें ' उलगुलान ' (क्रांति) जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन शामिल हैं, जिनमें 'संथाल', 'तमाड़' , 'भील' , 'खासी' , ' मिज़ो ' जैसे अन्य जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर अपनी जान की बाज़ी लगाई थी।
- यह दिवस उन संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाकर सुनिश्चित करता है कि उनकी वीरता को आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें और उन्हें सम्मानित करें।

जनजातीय गौरव दिवस 2024 की प्रमुख विशेषताएँ :

PM-JANMAN पहल :

- प्रधानमंत्री ने **' प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) '** के अंतर्गत 11,000 घरों के उद्घाटन में भाग लिया, जो दूरदराज के आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से संबंधित पहल :

- भारत के सुदूर और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 23 **' मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ' (MMUs)** की शुरुआत की गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को जनजातीय इलाकों तक पहुँचाने में मदद करेंगी।

DAJGUA अभियान :

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत अतिरिक्त 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs) का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में और सुधार होगा।

जनजातीय उद्यमिता और शिक्षा :

- भारत के प्रधानमंत्री ने जनजातीय छात्रों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **' 300 वन धन विकास केंद्र '** (VDVK) और **' 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ' (EMRS)** का उद्घाटन किया।

- इसके साथ ही, **25 और नए EMRS** स्कूलों की आधारशिला रखी गई, जो आदिवासी छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराएंगे।

सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और उसका प्रसार :

- मध्य प्रदेश के **छिंदवाड़ा** और **जबलपुर** में दो **' जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों '** का उद्घाटन किया गया, जो जनजातीय संघर्षों और उनके नायकों की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करेंगे।

- **जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर** और सिक्किम के गंगटोक में दो **' जनजातीय अनुसंधान संस्थान '** की स्थापना की गई, जो जनजातीय समुदायों की संस्कृति और इतिहास पर अनुसंधान करेंगे।

- इन सभी पहलों से **' जनजातीय गौरव दिवस 2024 '** ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

बिरसा मुंडा : एक महान आदिवासी नेता

प्रारंभिक जीवन :

- बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ। वे **' मुंडा जनजाति '** से थे और उनके जीवन का प्रारंभिक वर्ष आदिवासी समुदाय के बीच बीता, जहाँ उन्होंने बचपन में ही अपने माता-पिता के साथ विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए उन समुदायों को सामने आने वाली समस्याओं को बहुत ही करीब से देखा और समझा।

धर्मिक और सामाजिक जागरूकता :

- बचपन से ही बिरसा ने देखा कि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के साथ-साथ मिशनरियों द्वारा आदिवासी लोगों के धर्मांतरण के प्रयास बढ़ रहे थे। इस स्थिति ने उन्हें आंदोलित किया और उन्होंने **' बिरसाइत संप्रदाय '** की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी पहचान की रक्षा करना और मिशनरियों के धर्मांतरण अभियान का विरोध करना था।

आंदोलन में भागीदारी :

- बिरसा ने **' मुंडा और उरांव '** समुदायों को ब्रिटिश शासन और मिशनरियों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक किया और उन्हें यह समझाया कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही वे एकजुट होकर इन शोषणकारी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं।

- सन 1886 से 1890 के बीच, बिरसा ने झारखंड के चाईबासा में सरदारों के आंदोलन से प्रेरणा ली, और इस दौरान उनका समर्पण ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में गहरा हो गया। इस आंदोलन ने उनके मन में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की एक दृढ़ भावना विकसित की।

उलगुलान आंदोलन :

- सन 1899 में, बिरसा मुंडा ने ' **उलगुलान ' (महान कोलाहल)** आंदोलन का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य और उनके शोषण के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध था। इस आंदोलन में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों का इस्तेमाल किया और आदिवासी समुदायों से अपील की कि वे **"बिरसा राज"** की स्थापना के लिए संघर्ष करें। उनका उद्देश्य था कि आदिवासी समुदायों को अपनी ' **भूमि '** और ' **संस्कृति '** की रक्षा के लिए एकजुट किया जाए।

गिरफ्तारी और मृत्यु :

- सन 1900 ई. में, बिरसा को उनके गुरिल्ला दल के साथ ' जामकोपाई जंगल ' में ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, लेकिन 9 जून 1900 को, महज 25 वर्ष की आयु में, राँची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

विरासत :

- बिरसा मुंडा का जीवन **जनजातीय भूमि अधिकारों** की रक्षा के लिए और आदिवासी अधिकारों के लिए कानून बनाने के दबाव के रूप में याद किया जाता है। उनका योगदान आदिवासी अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य था। उनके संघर्ष और बलिदान को सम्मानित करते हुए, **2000 में झारखंड राज्य** की स्थापना की गई, जो आदिवासी अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके समर्पण और संघर्ष की धरोहर के रूप में आज भी अस्तित्व में है।

सरदारी आंदोलन :

- **सरदारी आंदोलन (1858-90) :** छोटा नागपुर क्षेत्र में एक सामाजिक-आर्थिक प्रतिक्रिया थी, जो जबरन मजदूरी, अवैध किराया वृद्धि और बिचौलियों द्वारा शोषण के खिलाफ था। इस आंदोलन ने बिरसा मुंडा को प्रेरित किया और उसे अपने संघर्ष के रूप में रूपांतरित किया, जिससे वह आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रमुख नेता बने। उनके संघर्ष ने न केवल आदिवासी समाज की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

भारत में जनजातीय विकास को समर्थन देने वाली प्रमुख पहलें :

वित्तीय और सामाजिक पहल :

- भारत सरकार ने 36,500 गाँवों की पहचान की है, जिनमें 50% जनजातीय आबादी है। इनमें 500 अनुसूचित जनजाति (ST) गाँव और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिले शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में केन्द्र सरकार द्वारा ' **जनजातीय कार्य मंत्रालय '** को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 73.6% अधिक है।
- इसके अलावा, **DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)** के तहत 79,156 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे 63,843 गाँवों के 5.38 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
- यह योजना विशेष रूप से **" कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) "** का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और समुदाय आधारित कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
- **" प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) "** का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, ताकि जनजातीय गाँवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

शिक्षा से संबंधित प्रमुख पहल :

- **EMRS (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) योजना** के तहत आदिवासी छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके शैक्षिक अंतर को कम किया जाता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (ASRY)** उच्च शिक्षा के लिए आदिवासी छात्रों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है।
- इसके अलावा, **" प्री-मैट्रिक ", " पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति ", " राष्ट्रीय फैलोशिप "** और **" विदेशी छात्रवृत्ति "** जैसी योजनाएँ आदिवासी छात्रों की शिक्षा को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

आय सृजन से संबंधित योजनाएँ :

- **" सावधि ऋण योजना " :** आदिवासी व्यवसायों को 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **" आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना "** उद्यमिता के लिए रियायती ऋण देती है, जबकि माइक्रो क्रेडिट योजना आदिवासी समूहों को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराती है।

स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रमुख पहल :

- जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने ' **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ', ' मिशन इंद्रधनुष ', ' निक्षय मित्र पहल '** और ' राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ' (NHM) जैसी योजनाएँ शुरू की हैं।
- इसके अतिरिक्त, ' **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना '** ने माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये तमाम पहलें भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष :

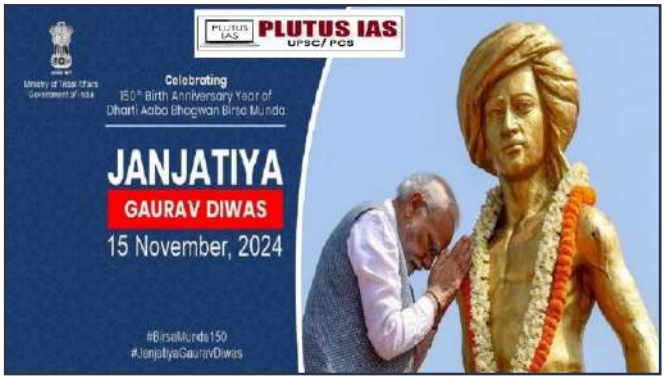

- सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। इन पहलों के माध्यम से, जागरूकता फैलाने और समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हम जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे न केवल इन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे भारत की प्रगति में भी अहम योगदान दे सकेंगे।

- **' जनजातीय गौरव दिवस '** जैसे आयोजनों के जरिए आदिवासी समाज की ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित किया जाता है और उनके योगदान को उजागर किया जाता है। इन प्रयासों से, आदिवासी समुदाय न केवल अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जनजातीय गौरव दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह दिवस केवल बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे।
2. भारत में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है।
3. बिरसा मुंडा का योगदान केवल जनजातीय समुदायों तक सीमित था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में हिस्सा लिया था।
4. बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया था और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जनजातीय गौरव दिवस 2024 के संदर्भ में, भारत के विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक संरचना और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा करें कि सरकार की वर्तमान नीतियाँ और योजनाएँ भारत के जनजातीय समुदायों के संरक्षण, विकास और सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)